न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार / कैम्प कोर्ट बगडराजपूत)
पीठासीन अधिकारी :— श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1 / 93 / 16	08.06.2016	06.06.2018

उनवान

1. देवीसहाय पुत्र भौरेलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम बगडराजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर।

..................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब रामगढ।

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1392 रकबा 0.01, 1393/1878 रकबा 0.34 व 1393 / 1879 रकबा 0.09 हैक्ट0 कुल किता 3 रकबा 0.44 हैक्ट0 वाके ग्राम बगडराजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है जो आराजी वाद में विवादित है। मिन वादी विवादित आराजी का काबिज काश्तकार गैरखातेदार है और अर्से दराज से यानि करीब 30 साल से विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है और काबिज है और गत फसले भी मिन वादी ने बोई व काटी है। मिन वादी के अलावा किसी दीगर शख्स का कोई हक व हिस्सा विवादित आराजी में नही है। मिन वादी मुद्दत मदीज से विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्तकार चला आ रहा है और इस प्रकार कानूनन मिन वादी विवादित आराजी का स्वतः ही खातेदार हो गया है। दिनांक 02.06.2016 को प्रतिवादी सं0 1 के तहत कर्मचारी पटवारी हल्का मौके पर आये और मिन वादी को विवादित आराजी से बेदखल करने को उतारू हो गये इस पर मिन वादी ने एतराज किया तो उन्होने बताया कि उक्त आराजी आपके नाम गैरखातेदारी में है या तो अपने नाम खातेदारी कराओ अन्यथा आपको विवादित आराजी से जबरन बेदखल करना पडेगा। इस कारण वाद पेश किया गया।

अतः प्रार्थना है कि डिक्री बाबत इस्तकरारहक व दुरुस्ती इन्द्राज बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाई जाकर यह करार दिया जावे कि वादी आराजी खसरा नम्बर 1392 रकबा 0.01, 1393/1878 रकबा 0.34 व 1393 / 1879 रकबा 0.09 हैक्ट0 कुल किता 3 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर) राज0

0.44 हैक्ट0 वाके ग्राम बगडराजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर का काबिज काश्तकार खातेदार है और काबिज है और इस ही प्रकार अपने नाम का इन्द्राज बहैसियत काबिज काश्तकार खातेदार के कागजातमाल जमाबन्दी आदि दर्ज कराने का अधिकारी है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से दावे का जवाब प्रस्तुत किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि विवादित आराजी सम्वत 2020 के बन्दोबस्त में वादी के पिता के नाम किस आधार से दर्ज हुई है, पुष्टि हेतु साक्ष्य संलग्न नही है। सम्वत 2020 से पूर्व का रिकोर्ड वादी के पक्ष की पुष्टि नही करता है लिहाजा दावा वादी खारिज योग्य होने से खारिज फरमावें।

वादी ने दावे के समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–74, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2058 व 2020, नकल जमाबन्दी सम्वत 2050, नकल जमाबन्दी सम्वत 2058, नकल जमाबन्दी सम्वत 2037, नकल जमाबन्दी सम्वत 2020, नकल जमाबन्दी सम्वत 2013–16, खसरा गिरदावरी सम्वत 2013 –2016 की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट / शिविर ग्राम पंचायत बगडराजपूत में दिनांक 06.06.2018 को पेश हुई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी 2071–2074 वाके ग्राम बगडराजपूत खाता सं0 455 के आराजी खसरा नम्बर 1392 रकबा 0.01, 1393/1878 रकबा 0.34 व 1393 / 1879 रकबा 0.09 हैक्ट0 कुल किता 3 रकबा 0.44 हैक्ट0 में देवीसहाय पुत्र भौरिया कुम्हार सा0 देह गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी वर्ष 2005 वाके ग्राम बगडराजपूत के खाता सं0 338 के आराजी खसरा नम्बर 1392 रकबा 0.01, 1393/1878 रकबा 0.34 व 1393 / 1879 रकबा 0.09 हैक्ट0 कुल किता 3 रकबा 0.44 हैक्ट0 में देवीसहाय पुत्र भौरिया कुम्हार सा0 देह गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी भू. प्रबन्ध विभाग अवधि 2002 से 2022 के खाता सं0 306 के आराजी खसरा नम्बर 1392 रकबा 0.01, 1393/1878 रकबा 0.34 व 1393 / 1879 रकबा 0.09 हैक्ट0 कुल किता 3 रकबा 0.44 हैक्ट0 में देवी सहाय पुत्र भौरिया कुम्हार सा0 देह गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है। भू. प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2020 वाके ग्राम बगडराजपूत के खाता नम्बर 162 के कॉलम सं0 4 में भवरया वल्द बसन्ता कौम कुम्हार सा0 देह गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2050–2053 के खाता सं0 247 में देवी सहाय पुत्र भौरिया

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

कुम्हार सा0 देह गैर खातेदार दज रिकार्ड है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2038–2041 में भवरिया पुत्र बसन्ता कुम्हार सा0 देह पटटेदार गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है। काश्त वादी के पिता की दर्शायी गई है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2016–2019 में वादी के पिता भौरा का अंकन है। वादी विवादित आराजी का काबिज काश्तकार गैरखातेदार है और अर्से दराज से यानि करीब 30 साल से विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है और काबिज है। वादी के अलावा किसी दीगर शख्स का कोई हक व हिस्सा विवादित आराजी में नही है। वादी मुद्दत मदीज से विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्तकार चला आ रहा है कानूनन वादी विवादित आराजी पर लगातार काबिज रहने से खतेदारी अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते है। वादी को खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1392 रकबा 0.01, 1393/1878 रकबा 0.34 व 1393 / 1879 रकबा 0.09 हैक्ट0 कुल किता 3 रकबा 0.44 हैक्ट0 वाके ग्राम बगडराजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर का वादी को बहैसियत काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि ताहाल कागजातमाल जमाबन्दी आदि में गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज करे। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत बगडराजपूत में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट बगडराजपूत)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/93 /16	08.06.2016	06.06.2018

उनवान

1. देवीसहाय पुत्र भौरेलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम बगडराजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर।

..................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब रामगढ।

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1392 रकबा 0.01, 1393/1878 रकबा 0.34 व 1393 / 1879 रकबा 0.09 हैक्ट0 कुल किता 3 रकबा 0.44 हैक्ट0 वाके ग्राम बगडराजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर का वादी को बहैसियत काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि ताहाल कागजातमाल जमाबन्दी आदि में गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज करे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 6.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)